

## राजस्थान सरकार

### कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2022

जयपुर, दिनांक : 29-01-2022

### आज्ञा

श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, आर.ए.एस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निलम्बित करने के एतद्वारा तुरंत प्रभाव से आदेश प्रदान करती है।

श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, आर.ए.एस., का निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
- 8 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
- 9 श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, आर.ए.एस. (द्वारा कलक्टर, अजमेर) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
- 10 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 12 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 13 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 14 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव